सामान्य निर्धनों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ

❐ बाबूलाल जैन

मानव विकास की अवधारणा को मूल आधार मानकर जनसामान्य के समग्र विकास के लिए राज्य शासन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए "मध्यप्रदेश सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग" की स्थापना 28 जनवरी, 2008 को की। यह कदम आने वाले समय में न केवल मील का पत्थर साबित होगा वरन समाज के एक बड़े वर्ग के समग्र विकास को लक्षित की जाने वाली योजनाओं को वृहद् आधार प्रदान कर सकेगा। लोकतांत्रिक कल्याणकारी शासन व्यवस्था में आरम्भ से ही निर्धनता उन्मूलन प्राथमिकता का क्षेत्र रहा है। विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास किये जाते रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के छह दशकों के पश्चात् भी हमारे सम्मुख गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी जैसी कई ज्वलंत समस्याएँ विद्यमान हैं। जब हम आधारभूत समस्याओं पर दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जहाँ एक ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों में यह समस्याएँ विद्यमान हैं वहीं सामान्य वर्ग का एक बड़ा निर्धन तबका भी कमोबेश इसी तरह की परिस्थितियों में जीवन-यापन कर रहा है एवं अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित रहा है।

स्वतंत्रता के पश्चात् से ही सामान्य वर्ग के निर्धनों के लिए किसी विशिष्ट आयोजना के अभाव के कारण प्रकारान्तर में इस समूह की सामाजिक– आर्थिक स्थितियों में निरन्तर गिरावट आती चली गई। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्धनता की परिस्थितियों में जीवन--यापन करने वाले परिवारों की मदद करना, उनका जीवन स्तर उठाना व उन्हें स्वावलंबी बनाना प्रकारांतर में उनकी मदद करना शासन का दायित्व होना चाहिये, भले ही वे किसी भी वर्ग से हों।

मध्यप्रदेश भारत के अपेक्षाकृत कम विकसित राज्यों में से एक है। मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास का स्वप्न केवल तभी देखा जा सकता है जब हम निर्धनता की स्थिति में जीवन–यापन करने वाले समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में लाने हेतु नीति नियोजन एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के संकल्प को लेकर आगे बढ़ें। मानव विकास की दृष्टि से देखें तो इसके चार बुनियादी आयाम हैं, इसके अन्तर्गत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक स्तर, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय एवं जीवन-यापन हेतु मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

आयोग के गठन के संदर्भ में स्मरण

आयोग की अनुशंसा पर शासन द्वारा प्रारंभ की गई ग्यारह योजनाओं से वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में लाभान्वित हितग्राही एवं अनुमानित व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र.	योजना का नाम	सामान्य निर्धन वर्ग	वर्ष 2008-09 हितग्राही संख्या	वर्ष 2008-09 अनुमानित व्यय (करोड़ में)	वर्ष 2009-10 हितग्राही संख्या	वर्ष 2009-10 अनुमानित व्यय करोड़ रु. में
1.	सामान्य निर्धन वर्ग छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 6 से 8 तक	123516	3.16	183596	4.75
2.	स्वामी विवेकानंद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 9 से 10तक	21334	0.75	32833	1.13
3.	स्वामी विवेकानंद पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 11से12तक	6130	0.31	7985	0.70
4.	निः शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण योजना	कक्षा 9 से 12 तक	11 लाख	20.46	11 लाख	27.50
5.	सुदामा शिष्यवृत्ति योजना	कक्षा 11 से 12तक	407	0.21	67	0.03
6.	वीरांगना लक्ष्मीबाई साईकल वितरण योजना	कक्षा 6	20849	4.67	15088	3.47
7.	डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र योजना	कक्षा12वीं उत्तीर्ण	353	0.18	383	0.24
8.	आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना	महिलाओं हेतु	637	2.55	1177	4.15
9.	विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना	12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों हेतु	1 कृषि/ वेटनरी -41	0.04	कृषि 01	
			2. इंजी/ पॉली. -397	0.41	इंजी 168/ पॉ. 689	0.39 0.74
			3. आई. टी. आई -1940	0.19	आई. टी. आई 1763	0.18
			4. मेडि./ डेण्टल/	- -	2	- -
			योग-2378		**योग-2623**	
10.	सांदीपनि संस्कृत प्रसार योजना	माध्यमिक, हाईस्कूल	224 शिक्षक पद स्वीकृत	- -	224 + 89	- -
11.	माँ सरस्वती उच्च शिक्षा ऋण गारण्टी योजना	निर्धन वर्ग	-	- -	लक्ष्य 200	- -
		योग	**12,75,604**	**32.95 करोड़**	**13, 44,263**	**43.28 करोड़**

करना उपयुक्त होगा कि भारत सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटलबिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त, 2003 को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह विचार व्यक्त किया था कि सामान्य वर्ग के निर्धनों के कल्याण के लिए भी कोई योजना बनाई जानी चाहिये एवं निर्धन वर्ग में फैला यह भेदभाव समाप्त होना चाहिए। मध्यप्रदेश और समाज के समस्त वर्गों के लिए सतत् सोचने वाले मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने प्रारंभ से ही श्री अटलबिहारी वाजपेयी के सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया एवं अन्ततोगत्वा 28 जनवरी, 2008 को इस आयोग की स्थापना की घोषणा की।

सामाजिक न्याय विभाग म.प्र. शासन द्वारा आयोग हेतु निर्धारित शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार हैः-

(1) प्रदेश में सामान्य वर्ग के निर्धनों को चिन्हित करना।

(2) सामान्य वर्ग के निर्धनों के समग्र कल्याण एवं विकास संबंधी बिन्दुओं पर विचार करना।

(3) राज्य शासन को उपरोक्त बिन्दुओं की दिशा में नई कार्य योजनाएं बनाने, पुराने कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा आनुषंगिक सुझाव देना।

(4) प्रदेश में सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों को लाभान्वित करने हेतु सुझाव देना।

आयोग के लिए प्रस्तावित शर्तें एवं निबंधन के अनुसार-

(1) आयोग अपनी कार्य प्रक्रिया विधिक रूप से स्वयं विकसित एवं निर्धारित करेगा। आयोग अपने कार्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिये आवश्यक अभिलेख/ जानकारी बुला सकेगा। शासन के समस्त विभाग, आयोग के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए

आवश्यक अभिलेख एवं जानकारी उपलब्ध करायेंगे तथा आयोग के चाहने पर उन्हें आवश्यकतापूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

(2) राज्य शासन द्वारा संदर्भित मुद्दों/ विषयों पर आयोग अपने सुझाव/ सलाह राज्य शासन को देगा।

आयोग ने अपनी कार्यप्रणाली इस तरह से निर्धारित की है कि उसे अपने कार्य में अधिक से अधिक जनसहयोग प्राप्त हो सके। प्रथम प्रतिवेदन में अनुशंसायें करने से पहले आयोग ने प्रदेश के प्रमुख समाचार-पत्रों में एक विज्ञापन प्रकाशित कर संस्थाओं एवं नागरिकों से सामान्य निर्धन वर्ग के कल्याण हेतु सुझाव माँगे थे। आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव ने प्रदेश के समस्त संभागों में प्रवास किया तथा इन प्रवासों के दौरान बैठकें आयोजित कीं। इन बैठकों में विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, शासकीय अधिकारियों, पत्रकारों एवं सामान्य वर्ग के निर्धन लोगों से सीधा संवाद स्थापित किया। पड़ोसी राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे एवं उनके अन्य सहयोगियों से चर्चा की तथा अपने सलाहकारों श्री नितिन नांदगांवकर, डॉ. राजेश कुमार दीक्षित एवं डॉ. पीयूष वर्मा की मदद से उपरोक्तानुसार जानकारी का गहन विश्लेषण कर अनुशंसायें इस आशय से प्रस्तुत कीं ताकि शासन स्तर पर इन पर विचार एवं क्रियान्वयन एक साथ प्रारंभ किया जा सके।

आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में लोकतांत्रिक कल्याणकारी व्यवस्था के अंतर्गत अधोसंरचना की कल्पना कर नौ मूलभूत योजनाओं को साकार रूप देने के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 27 जून, 2008 को निर्धन वर्ग के सम्मेलन में स्वीकृत कर आगे व्यवस्था बनाने के लिए विभिन्न विभागों को दिशा-निर्देश प्रदान किये। इसी तारतम्य में शासन के विभिन्न विभागों द्वारा ग्यारह योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं। इन विभागों द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में क्रियान्वित योजनाओं की स्थिति अत्यंत सकारात्मक व उत्साहजनक है। आयोग ने एक अकल्पनीय चुनौतीपूर्ण कार्य को मूर्तरूप दिया है और वह है "निर्धनता के मापदण्डों को नये स्वरूप में परिभाषित करना" इस विषय पर चिंतन एवं परामर्श के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें देश के मूर्धन्य चिन्तकों, विचारकों एवं विषय विशेषज्ञों ने सक्रिय भागीदारी की। इसी दिशा में राज्य स्तर पर विभिन्न विश्वविद्यालय में संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इन सभी संगोष्ठियों का सार संकलन आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन में निहित है। इसके अतिरिक्त विषय को वैज्ञानिक स्तर पर संपुष्टिकरण के लिए एक वृहद आर्थिक एवं सामाजिक सर्वेक्षण प्रदेश के समस्त जिलों में किया गया, जिसमें लगभग 30,000 प्रश्नावलियों के माध्यम से जन सामान्य से विषयान्तर्गत जानकारियाँ एकत्रित कर उसका वैज्ञानिक विश्लेषण एवं निष्कर्ष निकाला गया है। इन सभी प्रयासों को एकीकृत कर निर्धनता के मापदण्डों को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है।

आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन में उन सभी योजनाओं की समीक्षा की गई है जिन्हें प्रथम प्रतिवेदन में प्रस्तावित कर लागू किया गया है एवं उनकी उपयोगिता पर जनसामान्य का अभिमत प्रश्नावलियों के माध्यम से प्राप्त कर उसका विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। आयोग ने अपने द्वितीय प्रतिवेदन में कुछ अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को प्रस्तावित किया है, जिसमें अधिक से अधिक सामान्य निर्धन वर्ग के परिवार इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर निर्धनता के अभिशाप से मुक्त हो सकें। आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन में प्रस्तावित अनुशंसाओं पर म. प्र. शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 18 अगस्त, 2009 को वरिष्ठ सचिवों की बैठक ली गई। बैठक में लिए गये निर्णय अनुसार राज्य योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में गठित कोर-ग्रुप की बैठक 10 नवंबर, 09 को सम्पन्न हुई। ग्रुप द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में 60,000 वार्षिक एवं शहरी क्षेत्र में 72,000 रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों को सामान्य निर्धन वर्ग मान्य किये जाने की आयोग की अनुशंसा से सहमति व्यक्त की है।

स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के मुख्यमंत्री के स्वप्न को साकार करने में जहां आयोग ने प्रथम प्रतिवेदन में शिक्षा को निर्धनता के अभिशाप से मुक्ति दिलाने का सटीक कारगर हथियार माना है वहीं द्वितीय प्रतिवेदन में स्वरोजगार, गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने, बेरोजगारी रोकने एवं निर्धन वर्ग के लिये आवास "अपनी धरा-अपना गगन" जीवन की संतुष्टि का आधार इन दो बिन्दुओं पर फोकस किया है। स्वरोजगार एवं निर्धन वर्ग के आवास हेतु प्रस्तावित योजनाओं पर यदि पूर्ण गंभीरता से कार्य किया जाये तो अगले कुछ वर्षों में प्रदेश से निर्धनता के अभिशाप को हम दूर करने में अवश्य सफल होंगे।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में—

"वे मैले-कुचैले, अनपढ़, सीधे-सादे लोग हमारे नारायण हैं....

जिस दिन हम इनके हाथ एवं पांव की बिवाइयों को भरेंगे,

जिस दिन हम इनको पक्के, सुन्दर साफ-सुथरे घर बनाकर देंगे

और जिस दिन इनको उद्योगों और धन्धों की शिक्षा देकर इनकी

आय को ऊँचाई देंगे, उसी दिन भातृ भाव व्यक्त होगा।"

(लेखक राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष हैं।)